Buddha

C - 10

Adaptation :-

5. गूँगे एवं बहरे छात्रों के लिये सुझाव (Suggestions for dumb and deaf students) :-

विद्यालय में गूँगे एवं बहरे छात्रों को भी प्रवेश दिया जाता है, परंतु उनके अनुकूल व्यवस्था भी करना आवश्यक होता है। इसके लिये शिक्षकों को बोलते हुए तथा आंगिक संकेत करते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिये।

6. गत्यात्मक अक्षम छात्रों का अनुकूलन (Adaptation of Motor skill impaired students) :-

कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कि गत्यात्मक कौशलों में अक्षम होते हैं। इस प्रकार के छात्रों के लिये विद्यालय में रैम्प (ढलान रास्ता) होनी चाहिये जिससे कि वे अपने रिक्शा को सरलता से विद्यालय में ले जा सकें। ऐसे विद्यार्थियों के लिये वॉकर, बैसाखी एवं व्हील चेयर आदि की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे वो सहगामी क्रियाओं में भाग ले सकें।

7. नवीन तकनीकी का प्रयोग (Use of new Technology) :-

विद्यालय प्रबन्धन को अक्षम एवं अपवंचित छात्रों के लिये नवीन तकनीकी के आधार पर सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिये जिससे वे अपनी अक्षमता से बाधित न हो सकें; जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में C.D. player, Computer, Internet तथा Video player आदि का प्रयोग करने पर छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार आधुनिक शिक्षण यंत्र प्रदान करके छात्रों की पठन सम्बन्धी विकलांगता की समस्याओं को कम किया जा सकता है।

8. पाठ-योजना द्वारा अनुकूलन (Adaptation by Lesson plan) :-

इसके तहत ऐसा पाठ्यक्रम योजना तैयार होनी चाहिए जिसमें विशिष्ट एवं सामान्य विद्यार्थियों के लिए अनुकूल हो।

Scanned with CamScanner

सामान्य अनुकूलन या समायोजन इस प्रकार है:-

i) कक्षा-कक्ष की उचित स्थिति।
ii) गृहकार्य की पहले से सूचना देना।
iii) गृहकार्य को पूरा करने की वैकल्पिक तरीके, जैसे- मौखिक प्रदर्शन या लिखित परीक्षा।
iv) सहायक श्रवण उपकरण।
v) विशेष सहायक सामग्री तथा सेवाएँ (जैसे - लिखने या पढ़ने वाली)
vi) फिल्म या दृश्य सामग्री के लिए उसमें सम्मिलित कुछ दृश्य।
vii) कोर्स या कार्यक्रम में परिवर्तन।
viii) दस्तावेज परिवर्तन (वैकल्पिक print प्रारूप, ब्रेल, बड़े छपाई वाले शब्द, टेप यांत्रिक साधन उभरे हुए शब्द आदि।
ix) अध्ययन कौशल तथा रणनीति प्रशिक्षण।
x) Record किए हुए अभिभाषण।

Main types of Adaptation अनुकूलन का मुख्य प्रकार:-

① गृहकार्य की पूर्व सूचना (Advance notice of Assignment):- शिक्षक द्वारा दिये जाने वाले कार्य की पूर्व सूचना बालक को होनी चाहिए। इस संदर्भ में बालक का पाठ्यक्रम से अवगत होना अनिवार्य है क्योंकि बिना पूर्व जानकारी के बालक/विद्यार्थी को गृह कार्य में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिसके कारण शिक्षकों के अनुकूल गृहकार्य को पूरा नहीं कर पाएगा।

Scanned with CamScanner

अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम - 2009 : बच्चों के लिये निःशुल्क और
1 April, 2010 से लागू हुआ था।

इस अधिनियम में विकलांगता वाले बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गयी है।

इन विकलांगताओं का विकलांग व्यक्ति के लिए (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण भागीदारी - 1995 के अधिनियम) किया गया। स्वलीनता, मस्तिष्क पक्षाघात, मंदबुद्धि और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों की कल्याण के लिये राष्ट्रीय न्यास अधिनियम-1999 उल्लेख किया गया है।

RTE के अधिनियम में विकलांगताएँ निम्नलिखित है - i) अंधता, ii) बहरापन, iii) उपचारित कुष्ठ रोग, iv) कम दृष्टि v) लोकोमोटर विकलांगता vi) मंदबुद्धि vii) मानसिक रोग viii) स्वलीनता ix) मस्तिष्क पक्षाघात

RTE में इसके साथ-साथ बोलने में अक्षमता और सीखने में अक्षमता आदि की परेशानियों वाले 6-14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए पड़ोस के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के उत्तरदायित्वों की बारे में स्पष्ट निर्देश दिया है कि विद्यालय, समाज और अभिभावकों की क्या-2 भूमिका होनी चाहिये और यह भी निर्धारित किया गया है।

इन निर्देशों के विधेयक को सात अध्यायों और 38 खण्डों में बाँटा गया है।

Scanned with CamScanner

) निर्धारित पाठ्य सामग्री :-

एक निर्धारित एवं संक्षिप्त पाठ्य सामग्री बालक के समावेशन में उपयोगी होती है। इससे विद्यार्थियों में अधिगम के प्रति अभिरुचि का विकास होता है, किन्तु साथ-ही-साथ यह ध्यान भी रखा जाना अनिवार्य है कि उक्त पाठ्य सामग्री में आवश्यकतानुसार तथा उपयोगी सामग्री होनी चाहिए।

) सम्पूर्ण सामग्री की रूप-रेखा तैयार करना :-

शिक्षक को चाहिए कि संपूर्ण सामग्री का रूपरेखा तैयार कर शिक्षण को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाकर अधिगम को आसान बनाया जा सके जिससे की विद्यार्थियों का अवधारणा प्रबल हो सके।

) निश्चित मापदण्डों का पालन :-

इन मापकों द्वारा तैयार की गई रूपरेखा के लिये आवश्यक है कि मापदण्डों का पालन विभिन्न अवधारणाओं को पहचानने में किया जाना चाहिये। जिससे यह मापदण्ड सुनियोजित एवं संगठित होकर उद्देश्य, समयावधि Report एवं गतिविधियों आदि को पूर्ण कर सके।

) प्रभावशाली क्रियान्वयन :-

इस तरीके से तैयार की गई रूपरेखा का सफल परिणाम तभी सम्भव है, जब इसे प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया जाये। इसके क्रियान्वयन में शिक्षक का अहम किरदार होता है जैसे अलग-अलग Stage (वर्ग) के लिए अलग-अलग शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना अधिक प्रभावशाली होगा।

Scanned with CamScanner